X

(10)

महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय

एन.एच. 15, जैसलमेर रोड़, बीकानेर
0151–2212042, 2212044, 2212045, 2212047

प.07(334)मगंसिंविबी / शैक्ष. / बोम–10 / 2009 / 9003 दिनांक 19/11/09

श्रीमान् कुलपति महोदय
अध्यक्ष, प्रबन्ध मण्डल
महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय,
बीकानेर (राज.)

विषय :– प्रबन्ध मण्डल बैठक दिनांक 07–11–2009 का कार्यवाही विवरण भिजवाने बाबत।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन कि इस पत्र के साथ विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल की दिनांक 07–11–2009 को सम्पन्न हुई बैठक का कार्यवाही विवरण संलग्न कर भिजवाया जा रहा है।

आदर सहित।

संलग्न – कार्यवाही विवरण

भवदीय,

कुलसचिव

महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय

एन.एच. 15, जैसलमेर रोड़, बीकानेर
0151–2212042, 2212044, 2212045, 2212047

प.07( )मगंसिंविबी / शैक्ष. / 2009 /   दिनांक

प्रबन्ध मण्डल की दसवीं बैठक का कार्यवाही विवरण

प्रबन्ध मण्डल की दसवीं बैठक दिनांक 07–11–2009 को 11.30 बजे कुलपति सचिवालय में माननीय कुलपति श्री प्रीतम सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :–

1. श्री प्रीतम सिंह – अध्यक्ष
2. श्री दौलत राज नायक – माननीय विधायक – सदस्य
3. श्री तपेश पंवार – सदस्य, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राज. सरकार
4. डॉ. एस.एस. टांक – सदस्य
5. डॉ. सुरेश अग्रवाल – सदस्य
6. प्रो. एल.एन. गुप्ता – सदस्य
7. डॉ. आर.के. वर्मा – सदस्य
8. डॉ. विमलेन्दु तायल – सदस्य
9. डॉ. एम.एल. शर्मा – सदस्य
10. श्री श्याम सुन्दर रांकावत – सदस्य सचिव
11. श्री भंवर सिंह चारण – विशेष आमंत्रित

बैठक का कोरम पूर्ण पाये जाने पर माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की बिन्दुवार कार्यवाही प्रारम्भ की गई। बैठक में हुए विचार–विमर्श एवं लिये गये निर्णयों का बिन्दुवार विवरण निम्नानुसार हैं :–

1. मगंसिविबी / बोम–9 / 2009 / 79 : प्रबन्ध मण्डल की आठवी बैठक की कार्यवाही विवरण का अनुमोदन :–

   निर्णय :–

   इस एजेण्डा के विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा के दौरान सदस्य प्रो. एस.एस.टाक तथा डॉ. सुरेश अग्रवाल द्वारा आपत्ति प्रकट की गई कि प्रबन्ध मण्डल की बैठकों में विश्वविद्यालय के वित्त नियंत्रक तथा परीक्षा नियंत्रक को स्थाई आमंत्रित सदस्य के तौर पर अंकित किया जाता है, जो महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर के अधिनियम की व्यवस्था के अनुरूप नही है। इस सम्बन्ध में सदस्य सचिव ने स्थिति स्पष्ट करते हुए सदन को अवगत करवाया कि

विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल की प्रथम बैठक के एजेण्डा बिन्दु संख्या बीवि/बोम–1/2005/03 में पारित निर्णय के द्वारा उक्त दोनो पदों पर कार्यरत अधिकारीगण को स्थाई आमंत्रित सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जाता है। चूंकि प्रबन्ध मण्डल के अधिकांश कर्त्तव्य व कृत्य वित्त एवं नियम बनाने से संबंधित है इसलिए उक्त दोनों पदो के अधिकारियों की प्रबन्ध मण्डल बैठक में भागीदारी आवश्यक है। अतः सर्वसम्मति से इस आशय का निर्णय लिया गया कि उक्त दोनों पदो के अधिकारीगण प्रबन्ध मण्डल की बैठक में विशेष आमंत्रित के रूप में सम्मिलित रहेगे तथा चर्चा में भाग लेगे तथा प्रबन्ध मण्डल के कार्यवाही विवरण में इनको " विशेष आमंत्रित " के रूप में अंकित किया जाएगा।

प्रबन्ध मण्डल की आंठवी बैठक के कार्यवाही विवरण पर बिन्दुवार स्थिति प्रस्तुत की गई। चर्चा के दौरान माननीय सदस्यों का सुझाव था कि आठवी बैठक के एजेण्डा बिन्दु 76, 77 एवं 78 (V) पर निर्णय न होने एवं आगामी बैठक में निर्णय के लिए रखने के कारण दसवीं बैठक में एजेण्डा के रूप में रखना चाहिए था। माननीय अध्यक्ष महोदय के अनुमति से उक्त तीनों एजेण्डा बिन्दुओं को प्रबन्ध मण्डल की इस दसवी बैठक में टेबल एजेण्डा के रूप में शामिल किया गया।

प्रबन्ध मण्डल की आंठवी बैठक के कार्यवाही विवरण एवं अनुपालना प्रतिवेदन के शेष बिन्दुओं पर विस्तार से विचार–विमर्श कर सर्वसम्मिति से अनुमोदन किया गया।

2. मगंसिविबी/बोम–9/2009/81 – विश्वविद्यालय के वर्ष 2007–08 के सामान्य लेखों एवं स्व–वित्त पोषित योजना के लेखों की सी.ए. ऑडिट रिपोर्ट के अनुमोदन का प्रस्ताव :–

निर्णय :–

प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों के समक्ष लेखों एवं सी.ए. आडिट रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया। विचार–विमर्श के पश्चात सर्वसम्मति से लेखों एवं सी.ए. आडिट रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया। इसके साथ ही विश्वविद्यालय में सम्पतियों के लिए मूल्यहास की व्यवस्था लागू किये जाने, सी.ए. रिपोर्ट में इसको लिये जाने, इस विश्वविद्यालय के लिए अलग से प्रोविडेन्ट फण्ड, पेंशन फण्ड, ग्रेज्यूटी फण्ड बनाये जाने तथा कॉलेजों की आन्तरिक लेखा परीक्षा व नियंत्रण प्रणाली स्थापित किये जाने का भी सुझाव दिया गया। इसके अतिरिक्त विभिन्न बैंक खातों का अंक मिलान नही होने की स्थिति को असंतोषजनक बताते हुए व स्टाफ की कमी को देखते हुए आउट सोरसिग के जरिये अंक मिलान करवाये जाने का सुझाव दिया। इस सुझावों का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

3\. मगंसिविबी / बोम–9 / 2009 / 82 – विश्वविद्यालय तथा उसके अधीन संचालित स्ववित्तपोषी योजनान्तर्गत बजट अनुमान वर्ष 2009–10 तथा संशोधित बजट अनुमान वर्ष 2008–09 का प्रस्ताव :–

निर्णय :–

प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों के समक्ष विश्वविद्यालय एवं स्ववित्तपोषी योजनान्तर्गत वर्ष 2009–10 के बजट अनुमान तथा वर्ष 2008–09 के संशोधित बजट अनुमान अवलोकनार्थ एवं चर्चा हेतु प्रस्तुत किये गये। सदस्यों द्वारा निदेशक खेलकूद को भारी राशि अग्रिम दिये जाने पर आपत्ति व्यक्त की तथा अग्रिम राशि के तुरन्त समायोजन करवाने का सुझाव दिया। साथ ही भविष्य में कम राशि अग्रिम के रूप में दी जावे व उस राशि के समायोजन के पश्चात अगली राशि स्वीकृत की जावें। पेंशन व ग्रेच्युटी के लिए 20.00 लाख के प्रस्ताव पर अलग–अलग राशि विश्वविद्यालय की निधि से डालकर फण्ड स्थापित किये जाने का सुझाव दिया। इन सुझावों, बजट अनुमान एवं संशोधित बजट अनुमानों को प्रबन्ध मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया ।

4\. मगंसिविबी / बोम–9 / 2009 / 83 – बजट प्रस्तावों आदि की प्रारम्भिक जाँच के लिए गठित बजट एस्टीमेट रिव्यू कमेटी का अनुमोदन हेतु प्रस्ताव – :

निर्णय :–

विश्वविद्यालय के कार्यालय आदेश प.05(48) / लेखा / बजट / मगंसिविबी / 2008 / 25032–38 दिनांक 18–12–2008 के अन्तर्गत गठित समिति के अनुमोदन के सम्बन्ध में चर्चा के दौरान सदस्यों का सुझाव आया कि ऐसी समिति में प्रबन्ध मण्डल का सदस्य भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। बैठक में विचार–विमर्श के दौरान डॉ. विमलेन्दु तायल को बजट प्रस्ताव आदि की प्रारम्भिक जाँच के लिए गठित बजट एस्टीमेट रिव्यू कमेटी में प्रबन्ध मण्डल के सदस्य के रूप में सम्मिलित किये जाने एवं तदानुसार संशोधित कार्यालय आदेश जारी किये जाने का प्रस्ताव रखा गया, जिसकों सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।

5\. मगंसिविबी / बोम–9 / 2009 / 84 – विश्वविद्यालय भवन निर्माण फेज I एवं II के संशोधित अनुमानों का प्रस्ताव :–

निर्णय :–

प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों के समक्ष विश्वविद्यालय भवन निर्माण फेज I एवं II के संशोधित अनुमान अवलोकनार्थ एवं चर्चा हेतु प्रस्तुत किये गये। विस्तृत चर्चा के उपरान्त प्रबन्ध मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से उक्त संशोधित अनुमानों को पारित किया गया ।

6. मगंसिविबी / बोम–9 / 2009 / 85 – विश्वविद्यालय भवन निर्माण फेज III में प्रस्तावित पुस्तकालय एवं अकादमी भवनों के नक्शों के अनुमोदन का प्रस्ताव :–

निर्णय :–

प्रस्ताव पर प्रबन्ध मण्डल द्वारा विस्तृत विचार विमर्श कर फेज तृतीय में प्रस्तावित कार्यों के नक्शों का अवलोकम करने हेतु डॉ. एस.एस. टांक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करने का तथा इसके आधार पर कुलपति स्तर पर नक्शा अनुमोदित करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

7. मगंसिविबी / बोम–9 / 2009 / 86 – मृतक विश्वविद्यालय कर्मचारी के आश्रित को अनुकम्पात्मक नियुक्ति के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव –

निर्णय :–

विश्वविद्यालय के मृतक अनुभाग अधिकारी स्व. श्री राजेन्द्र सिंह राठौड की आश्रिता पत्नी श्रीमती इन्द्र कंवर की विश्वविद्यालय में कनिष्ठ लिपिक के पद पर की गई नियुक्ति के आदेश क्रमांक प.03(41)मगंसिविबी / संस्था / 2009 / 1277–1284 दिनांक 30–05–2009 का प्रबन्ध मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

8. मगंसिविबी / बोम–9 / 2009 / 87 – स्व. श्री राजेन्द्र सिंह राठौड के परिवार को प्रदत्त आर्थिक सहायता के अनुमोदन का प्रस्ताव :–

निर्णय :–

विश्वविद्यालय के मृतक अनुभाग अधिकारी स्व. श्री राजेन्द्र सिंह राठौड के पारिवार को विश्वविद्यालय द्वारा विवेकाधीन कोष में से प्रदत्त 50,000/– तत्काल आर्थिक सहायता के आदेश क्रमांक प.05( )बीविबी / लेखा / 2008 / 12577–83 दिनांक 26–08–2008 का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

9. मगंसिविबी / बोम–9 / 2009 / 88 – परीक्षा 2004 से 2006 तक की उपाधियाँ मुद्रण के सम्बन्ध में प्रस्ताव :–

निर्णय :–

प्रबन्ध मण्डल द्वारा उपाधि मुद्रण से संबधित एजेण्डा बिन्दु पर विस्तृत विचार–विमर्श किया गया। सदन की राय में केवल एक सुरक्षात्मक बिन्दु को लेकर उपाधि मुद्रण हेतु न्यून्तम दर की तुलना में भारी राशि पर निविदा स्वीकृत करना उचित नही होगा। अतः सर्वसम्मति से पूर्व में जारी निविदा को निरस्त करते हुए पुनः निविदा जारी कर उपाधि मुद्रण की प्रक्रिया को निरन्तर रखने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही डॉ. एस.एस. टाक एवं डॉ. विमलेन्दु तायल ने सुझाव दिया कि पूर्व में मुद्रित उपाधियों को पूर्णतया निरस्त

किया जाना उचित नही हैं इनमें से जो उपाधियां उपयोग में ली जा सकती है उनका उपयोग कर लिया जाए, इसलिए पुनः परीक्षण कराया जाए। अध्यक्ष महोदय ने नवीन उपाधि मुद्रण के साथ ही पूर्व में मुद्रित उपाधियों के उपयोगिता का परीक्षण कराने की सहमति दी।

10. **मगंसिविबी / बोम–9 / 2009 / 89** – कुलपति सचिवालय हेतु गोदरेज कम्पनी का फर्नीचर क्रय करने के आदेश के अनुमोदन का प्रस्ताव –

निर्णय :–

प्रबन्ध मण्डल द्वारा विचार–विमर्श के पश्चात विश्वविद्यालय में कुलपति सचिवालय हेतु क्रय किये गये गोदरेज कम्पनी के फर्नीचर के भुगतान आदेश क्रमांक प.03( ) मगंसिंविबी / स्टोर / 2009 / 960–962 दिनांक 15–05–2009 राशि 3,56,502 / – का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

11. **मगंसिविबी / बोम–9 / 2009 / 90 – स्व. श्री आर.एल. चौधरी**, व्याख्याता, बी.जे.एस.आर जैन कॉलेज, बीकानेर को गणना त्रुटि के फलस्वरूप पारिश्रमिक के रूप में अधिक चुकाई गई राशि रू. 3750.00 को अपलेखित करने के सम्बन्ध में :–

निर्णय :–

प्रबन्ध मण्डल द्वारा विचार–विमर्श के पश्चात स्व. श्री आर.एल. चौधरी, व्याख्याता, बी.जे.एस.आर जैन कॉलेज, बीकानेर को गणना त्रुटि के फलस्वरूप पारिश्रमिक के रूप में अधिक चुकाई गई राशि रू. 3750.00 को अपलेखित करने के लिए विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक प.05(56) लेखा / आडिट / मगंसिंविबी / 30250–53 दिनांक 26–02– 2009 का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

12. **मगंसिविबी / बोम–9 / 2009 / 91 –** छठे वेतन आयोग के अनुसार विश्वविद्यालय में पुनरीक्षित वेतनमान 2008 लागू करने हेतु जारी आदेश दिनांक 20.09.08 के अनुमोदन का प्रस्ताव :–

निर्णय :–

प्रबन्ध मण्डल द्वारा विचार–विमर्श के विश्वविद्यालय के अधिकारियों / कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग के अनुसार पुनरीक्षित वेतनमान 2008 लागू करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.05( ) लेखा / बीविबी / 2008 / 14727–36 दिनांक 20–09–2008 का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

13. मगंसिविबी / बोम–10 / 2009 / 92 – प्रबन्ध मण्डल की नौंवी बैठक दिनांक 20.06.09 की कार्यवाही विवरण एवं पालना प्रतिवेदन के अनुमोदन का प्रस्ताव :–

निर्णय :–

प्रबन्ध मण्डल की नौंवी बैठक के कार्यवाही विवरण एवं पालना प्रतिवेदन का प्रबन्ध मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से निम्नलिखित संशोधन के साथ अनुमोदन किया गया :

"सभी सदस्यों ने भी कुलपति द्वारा प्रभार ग्रहण करने पर स्वागत किया।"

14. मगंसिविबी / बोम–10 / 2009 / 93 – विद्या परिषद की बैठक दिनांक 25.07.09 की कार्यवाही विवरण का अनुमोदन (मद सं. 11 एवं टेबल एजेण्डा मद सं. 1 के अतिरिक्त) :–

निर्णय :–

प्रबन्ध मण्डल द्वारा विस्तृत विचार–विमर्श किया गया। विचार विमर्श के दौरान सुझाव आया कि विद्या परिषद की बैठक का कार्यवाही विवरण को और अधिक स्पष्ट एवं विस्तृत रूप में अंकित कर एजेण्डा बिन्दु के साथ प्रबन्ध मण्डल सदस्यों को भेजा जावें। इसके साथ ही विद्या परिषद की बैठक 25–07–2009 के कार्यवाही विवरण को अगली बैठक में अनुमोदन हेतु रखे जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

15. मगंसिविबी / बोम–10 / 2009 / 94 – विभिन्न महाविद्यालयों की सम्बद्धता समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव :–

निर्णय :–

राज्य सरकार द्वारा विभिन्न महाविद्यालयों के अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त करने के आधार पर विद्या परिषद की बैठक दिनांक 25–07–2009 में की गई अनुशंसा के अनुसार विभिन्न महाविद्यालयों की सत्र 2009–10 से सम्बद्वता समाप्त किये जाने के तथ्यों कों प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विस्तृत विचार–विमर्श के उपरान्त प्रबन्ध मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

(i) निम्नलिखित महाविद्यालय के सत्र 2009–10 के लिए राज्य सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र में अभिवृद्धि जारी कर दिये जाने के फलस्वरूप अन्य अर्हताए पूर्ण करने पर सत्र 2009–10 के लिए सम्बद्वता अभिवृद्धि जारी करने का प्रबन्ध मण्डल द्वारा निर्णय लिया गया :–

क्र. सं.	महाविद्यालय का नाम	अनापत्ति प्रमाण–पत्र अभिवृद्धि का संदर्भ
1	भादरा सेंच्युरी महाविद्यालय, भादरा (हनुमानगढ़)	एफ.4 (133) आकाशि / अनु / 04 / 628 दिनांक 01.09.2009
2	गुरूकुल इन्स्टीटयूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट एण्ड रिसर्च, लालपुरा (सूरतगढ)	एफ.4 (265–9 / 202) आकाशि / अनु / 2006 / 3385 दिनांक 12.08.2009

3	एस.एस.सी. बल्लाराम आर्य गर्ल्स महाविद्यालय, चांदगोठी (चूरू)	एफ.04 (76) आकाशि/अनु/05/741 दिनांक 11.09.2009
4	सुभाषचन्द्र बोस महाविद्यालय, सादुलशहर (श्रीगंगानगर)	एफ.4 (25–9/384) आकाशि/अनु/2001/327 दिनांक 04.08.2009

(ii) स्वामी केशवानन्द विधि महाविद्यालय, संगरिया एवं चौधरी विधि महाविद्यालय, सादुलपुर के सम्बन्ध में प्रबन्ध मण्डल द्वारा विचा–विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि उक्त दोनों महाविद्यालय आगामी सत्र (2010–11) हेतु विधि पाठ्यक्रम हेतु राज्य सरकार से ''अनापत्ति प्रामण पत्र'' प्राप्त कर सम्बद्वता हेतु पुनः विश्वविद्यालय में आवेदन प्रस्तुत करें।

(iii) महाराजा अग्रसेन महाविद्यालय, भादरा के सम्बन्ध में प्रबन्ध मण्डल द्वारा विचार–विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रतिवेदन की अनुशंसा के अनुसार कार्यवाही की जाए।

(iv) विद्या परिषद द्वारा अनुसंशित निम्नलिखित महाविद्यालय की उनके सामने अंकित सत्र से सम्बद्वता समाप्त किये जाने के प्रस्ताव का प्रबन्ध मण्डल द्वारा विचार–विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया : –

क्र.सं.	महाविद्यालय का नाम	सम्बद्धता समाप्ति सत्र
1.	सुशीला आर्टस एण्ड साइंस कॉलेज, रतनगढ़, जिला–चुरू।	2008–09
2.	सरस्वती कॉलेज, रावलामण्डी, जिला– श्रीगंगानगर।	2008–09
3.	एस. आर. चौधरी कॉलेज, लूणकरणसर, जिला–बीकानेर।	2008–09
4.	सुरेन्द्र इंस्टीट्यूट ऑफ एडवान्स स्टडीज, श्रीगंगानगर	2007–08
5.	सेन्ट सोल्जर गर्ल्स कॉलेज, श्रीगंगानगर।	2007–08
6.	अभिलाषा कॉलेज, साण्डवा, जिला– चुरू।	2009–10
7.	एस.जी.एन. खालसा गर्ल्स कॉलेज, सादुलशहर, जिला–श्रीगंगानगर।	2009–10

16. **मगंसिविबी/बोम–10/2009/95 – सम्बद्धता अभिवृद्धि शुल्क (विलम्ब शुल्क) में छूट के सम्बन्ध में प्रस्ताव :–**

निर्णय :–

विश्वविद्यालय से सम्बद्वता प्राप्त महाविद्यालयों को सत्र 2009–10 के लिए सम्बद्वता अभिवृद्धि शुल्क दिनांक 31–12–2008 से पूर्व जमा करवाना आवश्यक है। किन्तु विलम्ब से सम्बद्वता शुल्क जमा कराये जाने के परिणामस्वरूप गुरू गोविन्द सिंह खालसा महाविद्यालय, श्रीकरणपुर एवं श्री जैन पी.जी. महाविद्यालय, बीकानेर पर विलम्ब शुल्क आरोपित किया गया। इन महाविद्यालयों ने विलम्ब शुल्क से मुक्ति का आवेदन प्रस्तुत किया। प्रबन्ध मण्डल द्वारा विस्तृत विचार–विमर्श करने के पश्चात विलम्ब शुल्क में छूट देने सम्बन्धी प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अस्वीकार करने का निर्णय लिया गया।

17. मगंसिविबी / बोम–10 / 2009 / 96 – विश्वविद्यालय के अधिकारियों / कर्मचारियों एवं महाविद्यालयों को मानदेय / पारिश्रमिक प्रदान करने के कार्यालय आदेश के प्रारूप का अनुमोदन का प्रस्ताव :–

निर्णय :–

विश्वविद्यालय के अधिकारियों / कर्मचारियों को परीक्षा वर्ष 2008 को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2009 के लिए मानदेय / पारिश्रमिक भुगतान के आदेश का प्रारूप प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार–विमर्श के पश्चात आवश्यक संशोधन सहित मानदेय / पारिश्रमिक का प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया जाने का निर्णय लिया गया। संशोधित प्रस्ताव की प्रति संलग्न है।

18. मगंसिविबी / बोम–10 / 2009 / 97 – संभागीय आयुक्त, बीकानेर द्वारा बीकानेर विश्वविद्यालय की जाँच रिपोर्ट एवं इस पर विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक टिप्पणी के सम्बन्ध में प्रस्ताव –

निर्णय :–

राजस्थान सरकार उच्च शिक्षा (ग्रप–4) विभाग, के आदेश दिनांक 03–07–200[illegible] के निर्देशों के क्रम में संभागीय आयुक्त, बीकानेर द्वारा प्रस्तुत जाँच रिपोर्ट तथा इसके सम्बन्ध में विश्वविद्यालय की ओर से कुलपति महोदय द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक टिप्पणी को विचार–विमर्श हेतु प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार–विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से इस आशय का निर्णय लिया गया कि प्रबन्ध मण्डल के स्तर पर कुलपति द्वारा प्रेषित की गई तथ्यात्मक रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी किया जाना उचित नहीं है।

19. मगंसिविबी / बोम–10 / 2009 / 98(I) विश्वविद्यालय के वर्ष 2008–09 के सामान्य लेखों एवं स्व–वित्त पोषित योजना के लेखों की सी.ए. ऑडिट रिपोर्ट के अनुमोदन का प्रस्ताव :–

निर्णय :–

विश्वविद्यालय के वर्ष 2008–09 के सामान्य लेखों एवं स्ववित्तपोषित योजना के लेखों की सी.ए. ऑडिट रिपोर्ट का प्रबन्ध मण्डल द्वारा विस्तृत अवलोकन करने के पश्चात सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

20. मगंसिविबी / बोम–10 / 2009 / 98(II) विश्वविद्यालय विधि विभाग, बीकानेर के व्याख्याताओं को देय जाने वाले पारिश्रमिक के सम्बन्ध में प्रस्ताव :–

निर्णय :–

प्रबन्ध मण्डल को अवगत करवाया गया कि महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर में गेस्ट फैकल्टी के रूप में 2005 से व्याख्याताओ से कक्षांए संचालित करवाई जा रही है, जिनको रू. 75/– प्रति कालाशं के रूप में मानदेय दिया जा रहा था। माननीय कुलपति महोदय द्वारा प्रदत्त स्वीकृति दिनांक 20–05–2009 के अनुसार मानदेय राशि ` 150/– प्रति कालाशं कर दी गई है जिसके अनुमोदन हेतु प्रस्ताव प्रबन्ध के समक्ष प्रस्तुत किया गया । विस्तृत विचार कर प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

21. मगंसिविबी / बोम–10 / 2009 / 98(III) विश्वविद्यालय परिसर में पंजाब नेशनल बैंक के भवन निर्माण के सम्बन्ध में प्रस्ताव :–

निर्णय :–

विश्वविद्यालय परिसर में पंजाब नेशनल बैंक की शाखा के भवन निर्माण हेतु जमीन दिये जाने के प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श कर इस आशय का निर्णय लिया गया कि कुलपति द्वारा गठित समिति विश्वविद्यालय की सुविधा एवं विश्वविद्यालय के साइट प्लान की स्थिति का अवलोकन उपयुक्त भूमि एवं किराया प्रस्तावित करेगी! इस रिपोर्ट के आधार पर कुलपति महोदय को निर्णय लेने हेतु अधिकृत किये जाने का प्रबन्ध मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

22. मगंसिविबी / बोम–10 / 2009 / 98(IV) आयोजना भिन्न मद में अनुदान की राशि हस्तान्तरित करने के सम्बन्ध में :–

निर्णय :–

उप शासन सचिव, उच्च शिक्षा, ग्रुप–5 विभाग, जयपुर द्वारा अवगत करवाया गया कि वित्त विभाग ने विश्वविद्यालय के पास पर्याप्त राशि उपलब्ध होने के कारण अनुदान राशि जारी नहीं की जा सकती हैं। इस पर विचा–विमर्श कर निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय को वर्ष 2009–10 के लिए आयोजना भिन्न मद में अनुदान की राशि हस्तान्तरित करने के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए राज्य सरकार को लिखे जाने का निर्णय लिया गया।

23. मगंसिविबी / बोम–10 / 2009 / 98(V) एच.के.एम. महाविद्यालय, घडसाना एवं एम.जे. कुत्हेरिया महाविद्यालय, रावलामंडी में परीक्षा 2007 में हुई अनियमितता की जांच रिपोर्ट के सम्बन्ध में प्रस्ताव

निर्णय :–

एच.के.एम. महाविद्यालय, घडसाना एवं एम.जे. कुत्हेरिया महाविद्यालय, रावलामंडी में परीक्षा 2007 परीक्षा सम्बन्धी अनियमितताओं की प्राप्त जाँच रिपोर्ट के आधार पर प्रबन्ध मण्डल ने उक्त दोनों महाविद्यालयों के परीक्षा केन्द्र परीक्षा वर्ष 2010 से निरस्त करने का निर्णय लिया।

24. मगंसिविबी / बोम–10 / 2009 / 98(VI) एम.एन. इस्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड साइंस बीकानेर द्वारा सत्र 2005–06 में एम.एस.सी. (उतरार्द्ध) के छात्रों से अधिक वसूल की गई फीस लौटाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव :–

निर्णय :–

एम.एन. इस्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड साइंस बीकानेर द्वारा सत्र 2005–06 में एम.एस.सी (उतरार्द्ध) के छात्रों से अधिक वसूल की गई फीस लौटाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव पर चर्चा के उपरान्त महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 29–05–2006 के अन्तर्वस्तु को उचित मानते हुए महाविद्यालय द्वारा सम्पूर्ण पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित एवं वसूल की गई फीस को प्रबन्ध मण्डल द्वारा उचित मानते हुए सर्वसम्मति से प्रकरण समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

25. मगंसिविबी / बोम–10 / 2009 / 98(VII) विश्वविद्यालय के अधिकारियों / कर्मचारियों को परीक्षा 2008 के लिए मानदेय की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव :–

निर्णय :–

विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा 2008 में विश्वविद्यालय के अधिकारियों / कर्मचारियों को मानदेय / पारिश्रमिक के संशोधित आदेश क्रमांक F-02( )MGSUB/Secy./2008/423-435 दिनांक 24–04–2009 का प्रबन्ध मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा बिन्दुओं पर चर्चा के दौरान विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर भी सुझाव प्रस्तुत हुए –

1. माननीय सदस्य प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा श्री तपेश पंवार जी द्वारा इस आशय का सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में प्रत्येक जिले में कम से कम एक आदर्श संघटक महाविद्यालय बनाने की योजना है, इस सम्बन्ध में इच्छुक महाविद्यालय अपना प्रस्ताव भेज सकते है।
2. माननीय सदस्य डॉ. सुरेश अग्रवाल ने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षाओं की उत्तरपुस्तिकाओं को व्यक्ति विशेष को समन्वयक बनाकर उसके माध्यम से परीक्षकों में वितरण करने के बजाय सरकारी एवं अनुदानित महाविद्यालयों के प्राचार्यों को समन्वयक बनाकर भिजवाई जानी चाहिए।

3. माननीय सदस्य प्रो. एल.एन. गुप्ता ने कहा कि प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं तथा यात्रा भत्ता इत्यादि के विषयों को लेकर उनके द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट का अध्ययन करवाया जावें।

4. माननीय सदस्य डॉ. विमलेन्दु तायल ने कहा कि उनके द्वारा शिक्षक कल्याण कोष के सम्बध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है जिसका भी अध्ययन करवाया जावें।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

कुलसचिव